

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

प्रकरण संख्या
952 / 2024

पीठासीन अधिकारी—अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)
दायर दिनांक
04.12.2024

सनमान

निर्णय दिनांक
12.08.2025

श्री संपतिदेवी पत्नि बसंतीकुमार ब्राह्मण निवासी गंगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा राज.

बनाम

प्रार्थीया

1. भंवर पिता रामेश्वर तिवाडी निवासी गंगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
2. मांगी पत्नि कैलाश चन्द्र तिवाडी निवासी गंगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
3. विमला पत्नि ओंकारलाल ब्राह्मण निवासी गंगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
4. नन्दलाल पिता रामा नई निवासी गेता पारोली तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
5. हरक चन्द पिता मंवर लाल बार्गड निवासी गेता पारोली तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
6. गोपाल पिता लादू रेगर निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा राज.
7. नवरत्न पिता सुगन लाल धोबी निवासी बोर्डियास तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा
8. किरण देवी पत्नि रामराय सोमानी निवासी 12 ए ब्यास कॉलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
9. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार तहसील कोटडी/नायब तहसीलदार बडलियास नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री मनमोहन शर्मा उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गेता पारोली पटवार हल्का गंगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाडा की खाता संख्या 428 खसरा संख्या 727/4 रकबा 0.3133 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा


अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयता को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपार्थी संख्या 01 से लगायत 08 उपस्थित नहीं। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निरस्तारण प्राप्त ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। मैंने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्तु आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम गेता पारोली पटवार हल्का गेगा का खेडा तहसील कोटडी नवीन तहसील सवाईपुर जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 428 खसरा संख्या 727/4 रकबा 0.3133 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अक्षत कुमार सिंह)


जिला अधिकारी
भीलवाड़ा